भाग–5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.101 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की .0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एव कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित कुल योग 89.632 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में । **(प्रस्ताव सं0–(एफ.पी./यू.पी./ट्रांस/40906/2019)**

राज्य सरकार की सिफारिशें–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–पी–55/81–2–2020–800(60)/2020, दिनांक-13.08.2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त **भाग–ख** या **भाग–ग** या **भाग–घ** में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

( )

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन जलवायु
परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन